

अपील संख्या :- 1601/2024

जगदीश प्रसाद लाम्बा

-अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार,  
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

-प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 04.09.2024

उपस्थित -अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक  
प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री राहुल लोढ़ा, राजकीय अधिवक्तासमक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
शुचि शर्मा, सदस्यआदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 7592/2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 के आधार पर हस्तगत अपील अधिकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण सक्षम न्यायालय के समक्ष नई अपील/याचिका प्रस्तुत करने की छूट के साथ अपील वापस (Withdraw) लेने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थागण को कोई एतराज नहीं है।

अतः निवेदन स्वीकार किया जाता है। सक्षम न्यायालय के समक्ष नया वाद/अपील/याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अपील (As Withdrawn) अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)